राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः प.7(523)परि/नियम/मु./2014/पार्ट–1/10052 जयपुर, दिनांकः 11/05/2018

आदेश

विभागीय कार्यालय आदेश 08/2018 दिनांक 13.03.2018 के बिन्दु संख्या 3 के अनुसार केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 8A के तहत ई–रिक्शा एवं ई–कार्ट के चालकों को प्रशिक्षण देने का दायित्व ई–रिक्शा एवं ई–कार्ट की पंजीकृत एसोसिएशन अथवा निर्माताओं का है। चूंकि ई–रिक्शा निर्माताओं द्वारा आदिनांक तक चालकों के प्रशिक्षण हेतु सुचारू व्यवस्था नहीं की गई है ऐसी परिस्थिति में राज्य में ई–रिक्शा एवं ई–कार्ट के पंजीयन पर तब तक रोक रहेगी जब तक एसोसिएशन अथवा निर्माताओं द्वारा विभाग द्वारा अनुमोदित सिलेबस के अनुरूप प्रशिक्षण का कार्य शुरू नहीं किया जाता है। वर्तमान में ई–रिक्शा/ई–कार्ट के ट्रेड सर्टिफिकेट धारी डीलर को जारी ट्रेड सर्टिफिकेट को तुरंत उस अवधि तक निलंबित किया गया था जब तक कि वाहन निर्माता द्वारा उसके द्वारा विक्रित वाहन के स्वामियों जो कि ऐसे वाहनों के चालक है के लिये विभाग द्वारा स्वीकृत सिलेबस के अनुसार प्रशिक्षण का कार्य चालू नही करता है। ई–रिक्शा/ई कार्ट डीलर्स के वाहन विक्रय पर रोक, पंजीयन पर रोक, ट्रेड प्रमाण पत्र पर कार्यवाही के संबंध में जारी आदेश दिनांक 13.03.2018 के बिन्दु संख्या 3 को तत्काल प्रभाव से जयपुर हेतु प्रत्याहरित (Withdraw) किया जाता है।

ई–रिक्शा/ई कार्ट के चालकों को प्रशिक्षण देनें हेतु तीन संस्थाओं को विभाग द्वारा अधिकृत किया जा चुका है जो निम्नानुसार हैः–

क्र.स.	अधिकृत संस्था का नाम	संस्था का पता
1.	मैसर्स ऑटोलाइट (इंडिया) लिमिटेड जयपुर	महार हाउस आयुर्वेदिक संस्थान के सामने, जोरावर सिहं गेट, गंगा पोल, आमेर रोड़ जयपुर।
2.	मैसर्स ऑटोलाइट (इंडिया) लिमिटेड जयपुर	527–529, रीको इंडस्ट्रियल एरिया सीतापुरा जयपुर।
3.	ई–रिक्शा वेलफेयर एसोसिएशन, जयपुर	27 ट्रांसपोर्ट नगर , दिल्ली रोड, एम. आई. रोड, जयपुर।

भविष्य में ओर सस्थाओं के आवेदन भी प्रक्रियाधीन है। वर्तमान में अधिकृत जांच संस्थाओं के द्वारा ई–रिक्शा/ई कार्ट चालकों के प्रशिक्षण पश्चात् जारी प्रमाण पत्रों के आधार पर ई–रिक्शा/ई कार्ट के आवेदकों के लाईसेंस एवं पंजीयन का कार्य सम्पन्न किया करना सुनिश्चित करें। यह व्यवस्था अभी जयपुर शहर में ही क्रियान्विति होने जा रही है। अतः अन्य सभी शहरों में जहां ई–रिक्शा/ई–कार्ट का संचालन किया जा रहा है या किया जायेगा, वहां भी इस प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

(आर. सी. यादव)
अपर परिवहन आयुक्त (नियम)

क्रमांकः–प 7(523) परि/नियम/मु./2014–पार्ट–i/10053-56 जयपुर, दिनांक 11/05/2018
प्रतिलिपिः

1. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव।
2. समस्त प्रादेशिक /जिला परिवहन अधिकारी।
3. श्री संजय सिंघल, सिस्टम एनालिस्ट को वेबसाईट पर अपडेट करने हेतु।
4. रक्षित पत्रावली।

अपर परिवहन आयुक्त (नियम)